Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)
[PDS License Revision No.-63/2025]

Nityanand Sharma.....Revisionist.

Versus

The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	04.5.2026	**आदेश** यह PDS License पुनरीक्षण वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका सं. -20734/2019 में दिनांक-21.4.2025 को पारित आदेश को आलोक में न्यायालय, समाहर्त्ता, मधेपुरा के विविध आवेदन (ज.वि.प्र.वि. चयन) वाद सं.-126/2018 में दिनांक-31.8.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी एवं राज्य की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-24.4.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। पुनरीक्षणकर्त्ता का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। सुनवाई में पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि उनके नाम से ज.वि.प्र. दुकान हेतु अनुज्ञप्ति सं.-19/2018 निर्गत किया गया था। तथा यह कि उनके द्वारा PDS दुकान के संचालन से संबंधित विभागीय दिशानिदेशों के आलोक में दुकान का संचालन किया जा रहा है। उनका कहना है कि किसी भी लाभुक द्वारा उनके विरूद्ध कोई भी शिकायत कभी भी नहीं किया गया। उनका कहना है कि विपक्षी सं.-06 देवेश कुमार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका सं. -21298/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-30.11.2018 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, मधेपुरा के द्वारा विविध वाद सं (ज.वि.प्र.वि.)- 126/2018 में दिनांक-31.8.2019 को पारित आदेश के आलोक में उनके चयन को अवैध बताते हुए उनके PDS दुकान अनुज्ञप्ति सं. -19/2018 को रद्द कर दिया गया। आवेदक का कहना है कि समाहर्त्ता, मधेपुरा के स्तर से उनके पक्ष को सुने बिना ही आदेश पारित किया गया है। जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। उनका कहना है कि विपक्षी द्वारा लगाये गये आरोप के आलोक में समाहर्त्ता के स्तर उनके विरूद्ध मुख्यतः तीन आरोप के बिन्दु अंकित किया गया। जिसमें से दो बिन्दू को समाहर्त्ता के द्वारा अप्रमाणित माना गया। उनका कहना है कि समाहर्त्ता के स्तर से उनके विरूद्ध सरकारी सेवक रहने के तथा-कथित आरोप के आलोक में उनके चयन को अवैध मानते हुए अनुज्ञप्ति सं.-19/2018 को रद्द कर दिया गया। सुनवाई में उनका कहना है कि वे कभी भी सरकारी सेवक/लाभुक नहीं रहे हैं। तथा यह कि उनके द्वारा विश्वकर्मा महाविद्यालय, वीरपुर में संगीत शिक्षक के रूप में Temporary कार्य किया गया था। जो एक गैर-वित्त पोषित कॉलेज है। तथा सरकारी संस्थान की श्रेणी में नहीं आता है। उनका यह भी कहना है कि वर्ष 2007-08 में 25,800/- रू. एवं वर्ष 2008-09 में 61,700/- रू. का अनुदान राशि उन्हें प्राप्त हुआ था, परन्तु कभी भी उन्हें एक सरकारी सेवक के रूप में नियमित वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकार वे कभी भी एक सरकारी सेवक के रूप में कहीं भी कार्यरत नहीं थे। आवेदक द्वारा समाहर्त्ता, मधेपुरा के आदेश को निरस्त करते हुए उनके PDS अनुज्ञप्ति सं.-19/2018 को बहाल करने का अनुरोध किया गया है।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा

	04.5.2026	विपक्षी सं.-06 का कहना है कि आवेदक उक्त PDS दुकान के अनुज्ञप्ति हेतु समर्पित आवेदन के समय विश्वकर्मा कॉलेज, वीरपुर में संगीत शिक्षक के रूप में दिनांक-29.2.1992 से 13.8.2018 तक कार्यरत थे। तथा यह कि उक्त सेवा के कार्य करते हुए आवेदक को वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में दो बार सरकारी अनुदान राशि प्रदान किया गया था। इनकी ओर से निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए इस पुनरीक्षण वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि इस वाद का Issue in question यह है कि Petitioner नित्यानंद शर्मा बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका-11(vi) के तहत PDS दुकान के अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित Disqualification धारित करते हैं अथवा नहीं। कागजातों के अवलोकन से यह परिलक्षित हो रहा है कि Petitioner दिनांक-29.2.1992 से दिनांक-13.8.2018 तक विश्वकर्मा महाविद्यालय, वीरपुर में संगीत के शिक्षक के रूप में Temporary कार्य किये हैं। तथा यह कि उन्हें इसके एवज में सत्र 2007-08 में अनुदान के रूप में 25,800/-रू. की राशि एवं सत्र 2008-09 में 61,700/-रू. की राशि का भुगतान किया गया है। अर्थात आवेदक को उक्त कॉलेज में लगभग 26.5 वर्षों की सेवा के उपरान्त मात्र 87,500/-रू. का ही अनुदान राशि प्राप्त हुआ है। जो वेतन आदि मद का नहीं है। सुनवाई में Petitioner की ओर से विश्वकर्मा महाविद्यालय, वीरपुर के गैर वित्त पोषित रहने एवं उनके द्वारा कोई सरकारी पद धारित नहीं करने का बिन्दु उठाया गया है। निम्न न्यायालय समाहर्त्ता, मधेपुरा के आदेश (31.8.2019) में Petitioner के विश्वकर्मा महाविद्यालय, वीरपुर (गैर वित्त पोषित कॉलेज) में संगीत शिक्षक के रूप में Temporary कार्य करने एवं उक्त कॉलेज के गैर वित्त पोषित रहने के आलोक में Petitioner के सरकार में लाभ का पद धारण करने अथवा नहीं धारण करने के संबंध में कोई सकारण विनिश्चय अपने Findings में अंकित नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि Petitioner द्वारा विश्वकर्मा महाविद्यालय, वीरपुर में संगीत शिक्षक के रूप में Temporary कार्य करना सरकार में लाभ का पद धारण करने की श्रेणी में आता है अथवा नहीं। इस प्रकार निम्न न्यायालय के स्तर से Main Issue in question पर बिना कोई सकारण विनिश्चय करते हुए ही Final Order पारित किया गया है। जो विधिमान्य नहीं है। अतः तदनुसार समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए इस मामले का समाहर्त्ता, मधेपुरा को Remand back किया जाता है। समाहर्त्ता, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे शिक्षा विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से इस आशय का मार्गदर्शन प्राप्त कर लेंगे कि विश्वकर्मा महाविद्यालय, वीरपुर (गैर वित्त पोषित कॉलेज) में Petitioner द्वारा संगीत शिक्षक के रूप में Temporary कार्य करना सरकार में लाभ का पद धारण करना माना जायेगा अथवा नहीं। तदनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त प्रश्नगत मामले का सकारण विनिश्चय के साथ निस्तार करना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त आदेश के साथ इस पुनरीक्षण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश की प्रति LCR के साथ समाहर्त्ता, मधेपुरा को भेजें। Prem K. 04/5/2026. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Prem K. 04/5/2026. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा सत्यमेव जयते